न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 452/2019 (210/2019)
GCMS NO. : 2019/00231

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
शिवलाल के कायम मुकाम 1. सीतादेवी पत्नि स्व. शिवलाल 2. ललीता पुत्री स्व. शिवलाल जातियान– बावरी निवासी– बलाडा तहसील–जैतारण जिला–पाली।		1. तहसीलदार जैतारण तहसील कार्यालय जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.11/12/2019

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता वादीगण।
2. सरकारी पैरोकार।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 31/08/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा भू.अभि.नि. क्षेत्र रास (हाल भू.अभि.नि. क्षेत्र बलाडा) तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा 935 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा किस्म सेवज दोयम की आई हुई है। जिसमें वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर पिछले 30–40 वर्षो से शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्तकार करते आ रहे है। तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार के दर्ज है। लेकिन वादी का राजस्व रेकर्ड में शिवला नाम दर्ज है जो अशुद्ध वर्तनी के रूप गलत दर्ज हो गया है जबकि वादी का वास्तविक व रेकर्डेड नाम शिवलाल है । नकल जमाबन्दी साथ पेश है। उक्त सम्पति वादी के फौतेदगी नामान्तरण में वादी का बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले नाम शिवला के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम शिवलाल है। नामान्तरण द्वा[illegible] रेकर्ड में नामान्तरण दर्ज कर देने की जानकारी वादी [illegible] के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान [illegible] भामाशाह कार्ड एवं पीएनबी बैंक पासबुक आदि में भी [illegible] दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है। तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:41 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

इस रोंग एन्ट्री की जानकारी वादी द्वारा ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का बलाड़ा से अपने खाते की जमाबन्दी की प्रमाणित नकल दिनांक 02.07.2019 को लेने पर पता चला कि राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गलत दर्ज है। तब वादी ने पटवारी हल्का से अपने नाम दुरूस्ती करने का निवेदन किया तब पटवारी हल्का द्वारा वादी को सलाह दी थी। श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय के न्यायालय में नाम दुरूस्ती की घोषणा बाबत वादपत्र पेश करना पड़ेगा। इस प्रकार वादी अपनी पैतृक पुश्तैनी संम्पति में उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र श्रीमान के समक्ष बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का नाम गलत इन्द्राज होने से वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओ से फायदा नही उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसान कार्ड बन रहा है जिस पर सहखातेदारो से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का कथन किया इसलिये सहखातेदारो के विरुद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है इसलिये सहखातेदारो को प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया गया। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है इसलिये बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 02.07.2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एव पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान के समक्ष अन्दर म्याद वादपत्र पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। सरकारी पैरोकार/प्रतिवादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो सा.मि. है। सरकारी पैरोकार ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 01 का जबाब है कि राजस्व रेकर्ड मौजा बलाडा तहसील–जैतारण (पाली) की जमाबन्दी सम्वत् 2073–77 में खसरा नम्बर 935 में प्रार्थी सहखातेदार के रूप में दर्ज है, जो कि सही है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 02 का जबाब है कि यह सही है कि प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने पर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त प्रार्थी [illegible] कर दिया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, प[illegible] एवं भामाशाह कार्ड की फोटो प्रतिलिपियों में प्रार्थी का नाम शिवलाल [illegible] प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 03 का जबाब है कि [illegible] उपरोक्त कृषि भूमि में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 4,5,6 कानूनी बिन्दु है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 07 का जबाब है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:41 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कि यह सही है कि उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम शिवला के स्थान पर शिवलाल दुरूस्त किया जाना उचित है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र P/W 01, P/W 02, दिनांक 13.08.2021 को पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो है। बहस वकील वादी राजस्व वाद बाबत घोषणा अर्न्तगत धारा 88 सा0मि0 है। बहस वकील वादी राजस्व वाद बाबत घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया।

ग्राम बलाडा की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खसरा नम्बर 935 रकबा 21-10 बीघा-बिस्वा में शिवला पुत्र स्व. केसाराम बतौर सह-खातेदार दर्ज है। नामान्तरण संख्या 1006 (प्रदर्श-1) के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी को वादी के पिता के फौत होने पर जरिये फौतेदगी नामांतरण प्राप्त हुई। वादी शिवलाल के फौत होने पर उनके का.मु. सीता पत्नि स्व. शिवलाल एवं ललिता पुत्री स्व. शिवलाल को बतौर विधिक वारिसान रिकार्ड पर लिया गया। वादी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 एवं गवाह का शपथ पत्र P/W 01 पेश किया है। वादी सीता के साक्ष्य शपथ-पत्र के अनुसार वादिया के पति का सही एवं वास्तविक नाम शिवलाल पुत्र केसाराम है ना कि शिवला पुत्र केसाराम। शिवला एवं शिवलाल एक ही व्यक्ति है। वादीया के पति के अन्य समस्त दस्तावेज शिवलाल के नाम से है तथा जमाबन्दी 2073-2076 में शिवला के नाम से दर्ज हो गया है। प्रदर्श दस्तावेज प्रदर्श-9 (राशन कार्ड), प्रदर्श-8 (मृत्यु प्रमाण पत्र), प्रदर्श-4 (आधार कार्ड), प्रदर्श-6 (निर्वाचन आयोग पहचान पत्र), प्रदर्श-7 (पंजाब नैशनल बैंक डायरी) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण क्रमशः पति एवं पिता का नाम शिवलाल पुत्र केसाराम है। प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावे में यह कथन किया है कि ग्राम बलाडा के खसरा नम्बर 935 रकबा 21-10 बीघा जो जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में वादी सहखातेदार के रूप में दर्ज है एवं वादी के पिता का स्वर्गवास होने पर विरासत का नामांतकरण दर्ज करते वक्त वादी का नाम शिवला दर्ज कर दिया जबकि परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड एवं भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम शिवलाल दर्ज है। अतः वादी का नाम शिवला के स्थान पर शिवलाल दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाब-दावे एवं वादी एवं [illegible] प्रदर्श दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वा[illegible]लाती आराजी में वादी का सही एवं वास्तविक नाम शिवलाल पुत्र केसाराम [illegible] कि शिवला पुत्र केसाराम। भू-अभिलेख में दर्ज शिव[illegible] उच्चारण से संबंधित दोष से जनित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। अतः वाद [illegible] स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा भू.अभि.नि. क्षेत्र रास (हाल भू.अभि.नि. क्षेत्र बलाडा) तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा 935 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा किस्म सेवज दोयम में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि "**शिवला**" को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि "**शिवलाल**" दर्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। चुंकि शिवलाल पुत्र केसाराम फौत हो चुका है अतः तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिये जाते है कि शिवलाल के वास्तविक विधिक उत्तराधिकारियों की जॉच कर नियमानुसार नामांतरण की कार्यवाही करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 31/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

-: वादीगणः- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

शिवलाल के कायम मुकाम
1. सीतादेवी पत्नि स्व. शिवलाल
2. ललीता पुत्री स्व. शिवलाल
जातियान- बावरी निवासी- बलाडा
तहसील-जैतारण जिला-पाली।

1. तहसीलदार जैतारण तहसील
कार्यालय जैतारण
जिला-पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 452/2019 (210/2019)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री महेद्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। आराजी सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा भू.अभि.नि. क्षेत्र रास (हाल भू.अभि. नि. क्षेत्र बलाडा) तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा 935 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा किस्म सेवज दोयम में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''*शिवला*'' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ''*शिवलाल*'' दर्ज करते हुये वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। चुंकि शिवलाल पुत्र केसाराम फौत हो चुका है अतः तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिये जाते है कि शिवलाल के वास्तविक विधिक उत्तराधिकारियों की जॉच कर नियमानुसार नामांतरण की कार्यवाही करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत्......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तख़त व मोहर अदालत के आज तारीख 31/[illegible] को जारी किया गया।

माफिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण
जिला-पाली (राज0)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	7.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	6.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	4.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः-	19.00	मिजानः-	0.00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:41 IS
Reason: SelfAttested